International Journal of Creative Research and Innovation (IJCRI)
Vol-6, Issue-2, 2021 | ISSN: 2581-6829 ; http://www.edusanchar.com

शोध–पत्र

'' कोटा विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रशिक्षणार्थीयों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन'

शोधकर्ता **मार्गदर्शिका**

सुरेन्द्र कुमार शर्मा **डॉ. सावित्री सिंगवाल**

मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष का समुचित विकास हो उसे जीवन की सभी सुविधाएं प्राप्त हो इसके लिए राज्य मनुष्य को कुछ मौलिक अधिकार देता है। यदि मनुष्य को जीवन की सुविधाएं और विकास के अवसर नहीं मिले तो उसके व्यक्तित्व का उच्चतम विकास नहीं हो पाएगा। 300 ईसा पूर्व रचित कौटिल्य का अर्थशास्त्र में व्यक्ति के सुखी रहने पर बल दिया गया है। यह राजा का कर्तव्य था कि वह व्यक्ति के सुखी रहने के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करें। जिसका प्रमाण अर्थशास्त्र का निम्न श्लोक है–

प्रजासूखे सुखम् राज्ञःप्रजानम् च हिते हितम्।

नात्प्रियम् हितम् राज्ञः प्रजानाम् तु प्रियम् हितम्।।

इस प्रकार से मानवाधिकार से व्यक्ति अपने आपको पूर्ण एवं सुखी बना सकता है। विश्व के विकसित एवं सबवे राष्ट्रों की आधारशिला अधिकार ही है। अधिकारों के अभाव में मानव अपना स्वतंत्र चिंतन नहीं कर सकता और बिना स्वतंत्र चिंतन के मानव कल्याणकारी योजनाएं नहीं बना सकता है। विश्व के प्रत्येक मानव की यह प्रबल आकांक्षा होती है कि उसको अधिकार प्राप्त हो। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है वह समाज में जन्म लेता है तथा आजीवन समाज में रहता है वह अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रहकर करता है। जैसा कि प्रो लास्की ने कहा है कि

''अधिकार सामाजिक जीवन की आवश्यक शर्त है, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का श्रेष्ठतम पक्ष विकसित नहीं कर सकता।''

वस्तुतः अधिकार उन सुविधाओं को कहते हैं जिनका उपयोग कर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक एवं सुखी बना सके। अधिकार मानव विकास का एक साधन माना जाता है। जो अच्छे जीवन के लिए बाह्य परिस्थितियों का निर्माण करते हैं।

मानवाधिकार शिक्षा की जागरूकता की आवश्यकता–:

वस्तुतः मानव अधिकार वे अधिकार हैं, जो प्रत्येक मानव को मानव होने के नाते सामाजिक वातावरण में रहते हुए जीवन के विकास एवं उत्कर्ष के लिए प्राप्त है, परंतु जनसाधारण के लिए मानवाधिकार आज भी मृगतृष्णा बने हुए हैं। संभवत ऐसा इसलिए है कि आज भी एक आदमी अपने अधिकारों से अनभिज्ञ है इसके साथ ही यह एक मानवीय प्रवृत्ति भी है, कि अपनी मान्यता को भूल कर मनुष्य का मानवीय कृत्य कर मनुष्य के अधिकारों का हनन व संविधान की अवहेलना के साथ साथ ही ईश्वर का अपमान कर बैठता है। अतः आवश्यकता है आम नागरिकों को मानवाधिकार के प्रति जागरूक करने की मानवाधिकार की आवश्यकताओं को हम समझ सकते हैं। मानव मूल्यों के विकास के लिए अधिकार आवश्यक है। अस्तित्व की रक्षा के लिए अधिकार आवश्यक है। मानव अधिकार एवं शिक्षक की जागरूकता किसी भी कानूनी नियम के अनुसार ना के लिए आवश्यक होता है कि संपूर्ण समाज को उस क्षेत्र में जागरूक किया जाए मानवाधिकारों के विषय में यह तथ्य अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय समाज में समान रूप से कुछ वर्गों की जीवनशैली ही ऐसी बन गई है, कि वह स्वयं की स्थिति से संतुष्ट रहते हैं। उन्हें उन पर किए जा रहे अन्याय का भार नहीं होता। ऐसी स्थिति में शिक्षा द्वारा उन्हें इस दिशा में जागरूक किया जाना अनिवार्य है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी मानवाधिकार की शिक्षा विषय को सम्मिलित करने का उचित यही है। शिक्षक बनने पर समाज में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता

उत्पन्न करने में समर्थ शिक्षकों का निर्माण समाज में समानता न्याय शांति एवं सह–अस्तित्व को बनाए रखा जा सके। मानवाधिकारों की शिक्षा से प्रशिक्षित होकर शिक्षक समाज राष्ट्र एवं विश्व का कल्याण करने में सफल होंगे, ताकि संपूर्ण विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना का साकार रूप प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकेगा। प्रशिक्षण प्राप्त कर के शिक्षक निम्न रूप से जागरूकता ला सकेगा। शांति स्थापना हेतु सामाजिक मूल्यों को विद्यार्थियों के माध्यम से स्थापित करना, व्यक्ति की गरिमा को समझने की क्षमता उत्पन्न करना समाज के निर्माण की आवश्यकता के प्रति अभिवृत्ति आत्मक परिवर्तन लाना सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान कराकर अधिकार व कर्तव्य में समन्वय स्थापित करना स्वतंत्रता ओं का आदर करना आदि मानव जीवन में शिक्षा स्वयं एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जो मनुष्य को अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ना स्वयं को योग्य व श्रेष्ठ बनाने हेतु अधिक ज्ञान अर्जित करना आता है। जिसका पर्याय है शिक्षा परंतु शिक्षा सिखाने वाला अगर मानवतावादी प्रशिक्षण से पूर्व हो तो वह भावी जीवन के देश के रीढ़ स्तंभ विद्यार्थियों को मानवाधिकार की शिक्षा देकर उन्हें श्रेष्ठ नागरिक बना सकता है। प्रशिक्षित शिक्षक अधिकारों के ज्ञान से आने वाले भविष्य को कल्याणकारी बना सकता है। क्योंकि शिक्षक की मानवाधिकार को जानेंगे तभी तो विद्यार्थी जान पाएंगे अतः मानवाधिकार के प्रश्न में शिक्षक की जागरूकता अनिवार्य है।

निष्कर्ष–: मानव को मानव बनाया शिक्षा ने परंतु शिक्षा एक मानव का अधिकार है। जिसे सिखाते वह समझाने का कार्य अगर किसी ने किया है,, तो वह शिक्षक ही हो सकता है शिक्षक के बिना व्यक्ति का मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। शिक्षक को यदि मानवाधिकार की शिक्षा से पूर्व में ही प्रशिक्षित कर दिया जाए तो वह भावी पीढ़ी को अधिकारों के संदर्भ में जागृत कर सकता है। अधिकारों की जागृति से शिक्षक अपने स्वयं के कर्तव्यों को तो अच्छी तरह से निभाएंगे ही वरन निभाने की प्रेरणा भी प्रदान करेंगे।

मानवाधिकार की प्रतिष्ठा मानव कल्याण से ही संभव है, परंतु इसका रास्ता तय करने वाला सच्चा पथ प्रदर्शक शिक्षक होता है। जिससे परिवार समाज राष्ट्र को विश्व में अधिकारों की ऐसी अलख जगाई जिसे मानव का मन अंधकार मिट गया और मानव को अधिकार रूपी प्रकाश प्राप्त हो गया। मानवाधिकार शिक्षक को विद्यार्थी से वह विद्यार्थी को शिक्षक से और दोनों को राष्ट्र से जोड़कर विश्व कल्याण की सीमा का निर्धारण करते हैं। स्वयं प्लेटो ने लिखा है कि मानव अधिकार व अधिकार है जो मनुष्य जीवन उसके कर्तव्य एवं उसके व्यक्तित्व के लिए अनिवार्य है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–:

1. उदयमान भारतीय समाज और शिक्षा– प्रो मथुरेश पारीक एवं प्रो रजनी शर्मा :शिक्षा प्रकाशन जयपुर
2. उदयीमान भारतीय समाज और शिक्षा–: अनिता भारती :अग्रसेन शिक्षा प्रकाशन जयपुर
3. भारतीय राजव्यवस्था–: डॉ पुखराज जैन :साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा
4. शांति शिक्षा एवं सतत विकास–: श्रीमती राजकुमारी शर्मा प्रो एसके दुबे श्रीमती अनीता बरोलिया :राधा प्रकाशन आगरा
5. शिक्षा के मूल सिद्धांत–: डॉ राम शकल पांडे :विनोद पुस्तक मंदिर आगरा
6. भारत में मानवाधिकार और महिलाएं–: डॉ जनक सिंह मीणा :राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर
7. शिक्षण एवं अधिगम के मनोसामाजिक आधार–: प्रीता अरोड़ा शिक्षा प्रकाशन जयपुर
8. शिक्षण के लिए आयोजन–: जगदीश नारायण पुरोहित :राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर